

प्रस्ताव में प्रभावित वृक्षों के धनत्व के आधार पर एन0पी0वी की

गणना संबंधी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रेणुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज के अन्तर्गत मेंसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रेणुकूट, सोनभद्र को वर्ष 1972 में आदेश सं0 4887(2)/14-2-794 /72 दिनांक 2-9-72 द्वारा 6.394 हेक्टेयर वन भूमि, रिहन्द पावर स्टेशन से रेणुकूट प्लांट तक 132 के.वी. विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण करने हेतु लीज पर आवंटित किया गया था। उक्त वनभूमि का भारत सरकार के आदेश सं0 8बी/04/ 2074/2000 /एफ.सी./ 726 दिनांक 06.10.2000 एवं उ0प्र0 राज्य सरकार के आदेश सं0 774/14-2-2000-749/72 दिनांक 02.03.2001 द्वारा 25 वर्षों के लिये (दिनांक 01.04.1997 से 31.03.2022 तक) शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया गया था। लीज पर दी गयी उपरोक्त 6.394 हेक्टेयर वनभूमि को हिण्डालको संस्थान द्वारा पुनः आगामी 25 वर्षों के लिये (दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2047 तक) लीज पर लिये जाने की आवश्यकता है। प्रस्तावित वनभूमि का एन0पी0वी0 की गणना निम्नानुसार है :-

क्र0सं0	प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल (हे0 में)	प्रस्तावित वनभूमि का इको वैल्यू।	इको क्लास-03 के अनुसार एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0 (रु0 में)	एन0पी0वी0 की कुल धनराशि (रु0 में)
1	2	3	4	5
1	6.394	Very Dense Forest	13,57,110.00	86,77,361.00
(रुपया छियासी लाख सतहत्तर हजार तीन सौ इकसठ मात्र)				

For Hindalco Industries Limited

(Vivek Kumar)
Authorized Signatory)


क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट, सोनभद्र


(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र

